पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 60 / 2024

उनवान

बगदी बाई पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति मेघवाल आयु बालिग निवासी मालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।

.................प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

...........विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – पराग त्रिपाठी अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के सयुंक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 134 पुराना 26 की खसरा संख्या 296 / 782 रकबा 0.03 है0 स्थित है, उक्त आराजी संख्या 296 / 782 को प्रार्थीया श्रीमति बगदी बाई ने कन्हैयालाल पिता श्री चतरा बलाई निवासी जावदा से जरिये विक्रय पत्र आराजी संख्या 296 रकबा 0.25है0 भूमि में से दिनांक 29.07.2015 को रकबा 0.03 हेक्टर भूमि क्रय की गई जिसका नामान्तरण संख्या 180 दिनांक 05.08.2015 को दायर किया गया, जिसके अनुसार नवीन आराजी संख्या 296 / 782 रकबा 0.03है0 भूमि प्रार्थीया बगदी बाई पत्नि कन्हैयालाल के नाम दर्ज खाते रिकार्ड हुई है, वक्त ना.सं. 180 द्वारा नक्शें में उक्त आराजी का ट्रेस चस्पा किया गया, जो पूर्व नक्शें मे सही था, जो सलंग्न है, लेकिन वक्त सेग्रीगेशन सहवन से उक्त नवीन आराजी संख्या 296 / 782 रकबा 0.03है0 की राजस्व नक्शें में गलत तरमीम कर दी गई, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को आराजी का नक्शा ट्रेस पटवारी पटवार हल्का से दिनांक 04.06.2024 को लेने पर प्राप्त हुई, नवीन सेग्रीकेशन के दौरान उक्त नक्शें में त्रुटि हुई है, इसलिए उक्त आराजी संख्या 296 / 782 में प्रार्थीया के नक्शा ट्रेस को पूर्व के नक्शें अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 134 पुराना 26 की खसरा संख्या 296 / 782 रकबा 0.03 है0 के नक्शा ट्रेस की तरमीम को पूर्व के नक्शें के अनुसार दुरूस्त कर इन्द्राज दुरूस्ती कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुत ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां की जमाबंदी सम्वत 2076–79 आराजी संख्या 296 रकबा 0.25है0 कन्हैयालाल पिता चतरा के नाम खातेदारी हक से दर्ज [illegible] जरिये विक्रय पत्र श्रीमती बगदी बाई पत्नी कन्हैयालाल ने उक्त [illegible] हैक्टर में से रकबा 0.03 हेक्टर भूमि क्रय की थी जिसका विक्रय [illegible] 07.2015 पर पंजीबद्ध है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर बगदीबाई पत्नि कन्हैयालाल बलाई के नाम नामान्तरण संख्या 180 पर दर्ज होकर दिनांक 05.08.2015 को स्वीक[illegible] हुआ। उक्त नामान्तरण के साथ तत्काल पटवार हल्का द्वारा प्रार्थीया द्वारा क्रय किये गये रकबे की तरमीम नक्शें में पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार की थी जिसका नक्शा ट्रेस ना.सं. 180 की पटवार परत पर चस्पा है। वक्त सेग्रीगेशन उक्त तरमीम को कम्प्यूटर द्वारा नक्शें में गलत दर्शा दिया गया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

प्रार्थीया को असुविधा हो रही है। ग्राम लक्ष्मीपुरा में वर्तमान मौके पर प्रार्थीया पंजीकृत बेचान पत्र में क्रय रकबे पर तत्कालीन प0ह0 द्वारा की गई तरमीम अनुसार काबिज होकर काश्त की जा रही है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 बलकुण्डीकलां रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 296/782 के नक्शा ट्रेस की तरमीम को पूर्व के नक्शें के अनुसार दुरूस्त कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का न्यायोचित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 134 पुराना 26 की खसरा संख्या 296/782 रकबा 0.03 है0 के नक्शा ट्रेस की तरमीम को पूर्व के नक्शें के अनुसार दुरूस्त कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:08 IST
Reason: SelfAttested